

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

15/12/022

क्रमांक

2939

/कार्य/गढ़ावदिया ता./वनभूमि/2022-23

रतलाम, दिनांक-

प्रति,

✓ वन मण्डलाधिकारी
(सामान्य) वन मण्डल रतलाम

विषय- रतलाम जिले के अंतर्गत गढ़ावदिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु 12.770 हैक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय की गढ़ावदिया जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि 12.770 हैक्टर वन भूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र से जारी की गई है । सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है-

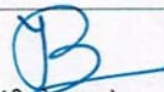
S.No.	Terms & Condition	Reply
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के पालन में वचन पत्र (Annexure-1) संलग्न है ।
2.	Forest land shall be handed over to the User Agency only after the User Agency has possession on non-forest land, if any, required for the project.	इस शर्त के पालन में जल संसाधन विभाग सहमत है, न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक-0020/अ-20(3)2021-22, आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक/1410/रीडर-1/22 रतलाम दिनांक 05.05.2022 के तहत ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.980 हैक्टर में से 12.770 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई, जिसके परिपालन में दिनांक-06.09.2022 को वन विभाग को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है । कब्जा रसीद (Annexure-2&3) संलग्न है ।
3.	Compensatory afforestation :-	
a)	Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 12.770 Ha. non forest land (survey no. 881, village Bibdodh, Tehsil - Ratlam, Distt. Ratlam) at the cost of User Agency. as far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	वनमण्डलाधिकारी जिला रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रमांक-मा.चि./2021/1097/रतलाम, दिनांक 25.03.2021 द्वारा पूर्व में ग्राम बिबडोद के सर्वे नम्बर 881 रकबा 98.950 हैक्टर में से 21.703 हैक्टर आवंटित गैर वन भूमि अनुपयुक्त होने से उसके एवज में ग्राम शेरपुर में गैर वन भूमि की मांग की गई । न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक-0020/अ-20(3)2021-22, आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक/1410/रीडर-1/22 रतलाम दिनांक 05.05.2022 के तहत ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.980 हैक्टर में से 12.770 हैक्टर भूमि, वन विभाग को हस्तांतरित की गई ।

S.No.	Terms & Condition	Reply
b)	The Non forest land shall be transferred and mutated in favor of Forest Department.	इस शर्त के पालन में न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक-0020/अ-20(3)2021-22, आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक/1410/रीडर-1/22 रतलाम दिनांक 05.05.2022 के तहत ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 80.980 हैक्टर में से 12.770 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई। यह म्यूटेशन रिपोर्ट (Annexure-4) संलग्न हैं।
c)	The compensatory afforestation scheme shall be submitted for 10 years.	यह कार्ययोजना वन विभाग द्वारा तैयार की गई हैं।
d)	The non forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as deserved forest under section-4 or protected forest under under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the State Forest Act, The Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh must report compliance with in a period of 06 months from the date of grant of final approval and send a copy of the original notification declaring the non forest land under section-04 or section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under relevant section of the State forest Act as the case may be, to this office for information and record;	उक्त बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
e)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India Toposheet of 1:50000. The bearing of each corner point and distance between successive points shall be recorded along with GPS reading of Geo-Coordinates (Latitudes & Longitudes)	हस्तान्तरित की गई गैर वन भूमि सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोग्राफी स्केल 1:50000 पर दर्शाया गया हैं। (Annexure-5 & 6) प्रेषित है।
4.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and rection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के पालन में विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-7) संलग्न हैं।
5.	NPV:	
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 12.77 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2008, 24.04.2008, & 09.05.2008 in IA No. 566 inWP (C) No. 202/1995 and as per the	इस शर्त के पालन में वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार कुल राशि 84,43,840/- का भुगतान ई-पद्धति के माध्यम से ई-चालान तैयार कर ई-चेक से राशि वन विभाग के CAMPA मद में जमा की जा चुकी हैं। चालान एवं ऑनलाईन रिपोर्ट (Annexure-8) संलग्न प्रेषित हैं।

	guidelines issued by the Ministry vide letter No.5 /1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 05-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-9) संलग्न हैं।
6.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA/ fund only through e.portal	वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार कुल राशि 84,43,840 /- (CAMPA) मद में जमा की गई हैं। चालान एवं ऑनलाईन रिपोर्ट (Annexure-10) संलग्न हैं।
7.	All felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only and felling of trees shall be carried out by State Forest Department. Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project.	इस शर्त के पालन हेतु जल संसाधन विभाग सहमत हैं।
8.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act., 1986, if required.	इस शर्त के पालन में इस योजना में इसकी आवश्यकता नहीं है।
9.	User agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	इस शर्त के पालन में विभाग सहमत हैं। इस आशय का वचन पत्र (Annexure-10) संलग्न हैं।
10.	The User Agency shall provide water to the State Forest Department for the forestry related projects at the rate fixed by the Govt. of Madhya Pradesh.	इस शर्त हेतु विभाग सहमत हैं।
11.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
12.	No labour camp shall be established on the forest land	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-11) संलग्न हैं।
13.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के पालन में संबंधित ठेकेदार/मजदूरों के द्वारा वन विभाग की जलाऊ लकड़ी का उपयोग नहीं किया जायेगा।
14.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-12) संलग्न हैं।

S.No.	Terms & Condition	Reply
15.	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage forest flora and fauna.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-13) संलग्न हैं।
16.	Siltation of the reservoir and canal shall be kept under check and desiltation of reservoir shall be carried out regularly.	इस शर्त के पालन में जलाशय एवं नहर की गाद निस्तारण की सतत निगरानी रखी जावेगी। इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
17.	Muck disposal, if required, shall be taken up as per the scheme approved by the Forest Department.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
18.	Soil conservation measures, if required, shall be taken up by the user agency.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
19.	Proposed labour camps outside the forest area are to be dismantled and removed. The labourers shall be sent back immediately after the completion of the work.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं। वचन पत्र (Annexure-14) संलग्न हैं।
20.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
21.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the Wildlife.	इस शर्त के पालन में विभाग सहमत हैं। वचन पत्र (Annexure-15) संलग्न हैं।
22.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
23.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
24.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग वचनबद्ध हैं। वचन पत्र (Annexure-16) संलग्न हैं।
25.	Relevant directions contained in various notifications issued by the Govt. of India under the provisions of the Environment (Protection) Act., 1986 and Environment (Protection) Rules, 1986 made thereunder and amended from time to time regarding use of fly ash shall be fully complied with.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं। वचन पत्र (Annexure-17) संलग्न हैं।

S.No.	Terms & Condition	Reply
26.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
27.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting tree are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
28.	The User Agency shall submit compliance report as on 1 st January to the Nodal Officer of the state.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
29.	The State Government shall monitor compliance of the conditions of the Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 1 st July of every year.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
30.	The User Agency and State Government shall ensure compliance of the provisions of All Acts, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।
31.	The compliance report shall be uploaded on e.portal (http://forestsclarance.nic.in/).	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत हैं।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

पृष्ठांकन क्रमांक / कार्य / गढ़ावदिया ता. / वनभूमि / 2022-23

रतलाम, दिनांक-

प्रतिलिपि : -

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध।

संलग्न : - पालन प्रतिवेदन (Annexure 01 से 17 सहित)।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र शर्त क्रमांक 1

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम
में परिवर्तित 12.770 हेक्टर वन भूमि की वैधानिक वस्तुस्थिति
यथावत रखी जावेगी ।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

समिति जिला रतलाम (म0प्र0)

RCMS प्रकरणकमांक 0020/अ-20(3)/2021-22

1. प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग
भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन विभाग रतलाम जिला रतलाम
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग म0प्र0भोपाल

विरुद्ध
म0प्र0 शासन

.....आवेदक

.....अनावेदक

::आदेश::

(पारित आदेश दिनांक 5/5/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र के पालन में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रतलाम म0प्र0द्वारा नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के तहत निर्धारित प्रारूप-एक में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 12.770 हे० तालाब प्रस्तावित गई है। उक्त परियोजना में उपयोग में आई भूमि के एवज में ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० मद का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रकरण पंजीबद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित), की कंडिका-13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा ने प्रकरण में तहसीलदार पिपलौदा से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेशिका दिनांक 22.12.2021 को प्रेषित किया गया। आदेशिका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। भूमि आवंटन के संबंध में सर्वसंबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिमत प्राप्त नहीं नजूल निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-48 (2इ) के अनुसार अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। सचिव, ग्राम पंचायत शेरपुर, के द्वारा दिनांक 25/03/2022 में ग्राम शेरपुर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० मद का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग रतलाम को हस्तांतरित किये जाने में अनापत्ति होने का लेख है; एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-13(1) के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के द्वारा प्रारूप-5 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित/सुरक्षित नहीं है। भूमि वाजिब-उल-अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है, भूमि शमशान/कब्रस्तान/मरघट इत्यादि की नहीं है। भूमि पर रास्ता, सड़क, पगडंडी

निरंतर-2-पर

मार्ग नहीं हैं, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं हैं। प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी चरागाह का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० म० का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग रतलाम को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है।

3- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जावरा से प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी नजूल रतलाम के द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 12.770 हे० तालाब प्रस्तावित गई है। वन विभाग के द्वारा उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रदान करते हुये उक्त भूमि के एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० म० का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करते हुये पूर्व में उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को कलेक्टर रतलाम के प्रकरण क्रमांक 30/अ-20(3)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2018 से आवंटित ग्राम बिबडौद की शासकीय भूमि सर्वे नं. 881 रकबा 98.950 हे० में से 21.703 हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी होने से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये ग्राम शेरपूर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हे० म० का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र०भोपाल को म.प्र.नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के अध्याय-2 के प्रावधान अनुसार हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4- म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश -2020 की कंडिका-8(3) के अंतर्गत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग म०प्र०भोपाल हस्तांतरण की स्वीकृति कंडिका-14 के अनुसार समिति द्वारा कार्रवाई विवरण दिनांक 30/03/2022 की मूल प्रति प्रकरण के संलग्न हैं।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी अधिकारी नजूल के अभिमत के आधार पर जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि 12.770 हे० तालाब प्रस्तावित गई है। वन विभाग को द्वारा पूर्व में उक्त परियोजना हेतु कलेक्टर रतलाम के प्रकरण क्रमांक 30/अ-20 (3)/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2018 से आवंटित ग्राम बिबडौद की शासकीय भूमि सर्वे नं. 881 रकबा 98.950 हे० में से 21.703 हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी होने से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये गढावदिया तालाब परियोजना में वन विभाग की भूमि उपयोग में से उक्त एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.986 हे० म० का०का० घासबीड में से 12.770 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया तहसील रावटी स्थित वन विभाग की भूमि ८.९९३ हे० तालाब प्रस्तावित गई है। वन विभाग को पूर्व में उक्त परियोजना हेतु न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक ३०/अ-२०(३)/१७-१८ में पारित आदेश दिनांक ०३/०२/२०१८ से आवंटित ग्राम बिबडौद की शासकीय भूमि सर्वे नं. ८८१ रकबा ९८.९५० हे० में से २१.७०३ हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयोगी होने से आदेश दिनांक ०३/०२/२०१८ को निरस्त करते हुये गढावदिया तालाब परियोजना के एवज में ग्राम शेरपूर की शासकीय भूमि सर्वे नं. ८५८ रकबा ८०.९८० हे० मद का०का० घासबीड़ में से १२.७७० हे० भूमि म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-२०२० के अध्याय-२ की कंडिका (१६) के तहत म०प्र० शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि जिसकी सीमाएं आबद्ध रेखांक चिह्नित की गई हैं, जिसे नक्शे में लालस्याही से अंकित किया गया है।

१. राज्य शासन के किसी विभाग को कंडिका १७ के अंतर्गत हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण नहीं होगा।
२. भूमि का उपयोग कंडिका १८(१) के अंतर्गत ०३ वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।
३. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक / / २०२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(कुमार पुरुषोत्तम)

एवं अध्यक्ष जिला स्वयंसेवक (निर्वाह) समिति
जिला रतलाम म.प्र.

रतलाम, दिनांक ०५/०५/२०२२

पृ०क्रमांक / १५/०/रीडर-१/२२
प्रतिलिपि :-

१. प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग भोपाल।
२. अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग म०प्र० भोपाल।
३. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
४. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग उज्जैन।
५. वन मंडलाधिकारी रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
६. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा।
७. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
८. नजूल अधिकारी, रतलाम।
९. तहसीलदार, पिपलौदा की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि, आदेशानुसार आवंटित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य वनमंडलाधिकारी जिला रतलाम द्वारा प्राधिकृत के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर साँपे तथा शासकीय भू-अभिलेख खसरा नक्शे में आदेशानुसार अमल दरामद किया जाकर, खसरा पांच शाला नक्शा ट्रेस जिसमें आवंटित की गई भूमि को लालस्याही से दर्शाया जाकर कब्जा रसीद सहित प्रकरण वापस लौटावे।

एवं अध्यक्ष जिला स्वयंसेवक (निर्वाह) समिति
जिला रतलाम म.प्र.

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 पिपलौदा तहसिलपिपलौदा

क्रमांक / ९९ / ०९/२०२२

पिपलौदा, दिनांक: ०९/०९/२०२२

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील पिपलौदा

विषय- ग्राम शेरपुर स्थित शासकीय भूमि वन विभाग को आवंटन उपरांत सीमांकन कर कब्जा सोपने बाबत
संदर्भ- न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1409/सी-01/22 रतलाम दिनांक 05/05/2022।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि नजुल भूमि निवृत्तन समिति जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 0020 अ-20 (3) / 2021-22 पारित आदेश दिनांक 05/05/2022 के पालन में ग्राम शेरपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 858 रकबा 80.980 हैक्टर भूमि में से रकबा 12.340 हैक्टर भूमि ग्राम गड़ावदीया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गड़ावदीया तहसील रावटी में वन विभाग की प्रभावित भूमि के एवज में आवंटित किये जाने से आवंटित भूमि का सीमांकन वन परिक्षेत्र सहायक-अम्बा व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग सैलाना की उपस्थिती में किया जाकर आवंटित भूमि का कब्जा वन विभाग को सौंपा गया।
रिपोर्ट श्रीमान की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

prg
राजस्व निरीक्षक
वृत्त-02 पिपलौदा
तहसिलपिपलौदा

पंचनामा

दिनांक 06/09/2022

रहम पंचनाम ग्राम शेल्फुट के शेल्फुट यह पंचनामा तस्दीक
कर देते हैं कि आज दिनांक 06/09/2022 के न्यायालय
ऑफिस में अध्यक्ष जिला नज़र अफ़ी निर्दिष्ट समिति
जिला एतलाय के शेल्फुट फ़ोन 0020/अ-20(3)/21-22
पारित अडिरा दिनांक 05/05/2022 के पालन में
ग्राम शेल्फुट स्थित अफ़ी सन फ़ोन 858 टक्का 80980
अद ठाठठां धातवी में से टक्का 12.770 है- अफ़ी
गदावदिपा तालाब परियोजना के गदावदिपा गदावदिपा ताली
में इमावित वन विभाग की अफ़ी के एफ़ में आवंटित
अफ़ी का तीनोंका तालाब निरीक्षण वृत्त 2 पिपली, द
व मीपा पत्वाली का, वन परियोजना तालाब आस्था
व जल लेखायन के अनुविभागीय अधिकारी उपनिर्माय तालाब
की उपस्थिती में किया जाऊ आवंटित अफ़ी का
टक्का वन विभाग को लीपा गया।

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन

अतः हम पंचों के पंचनामा

23, 32, 22, 13

74, 64, 54, 41

तस्दीक कर दिया जा रही है।

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन
06/09/2022

06/09/2022 अफ़ी अफ़ी

समय
ग्राम पंचायत, शेल्फुट

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन

06/09/2022

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंचालक
तलाब तालाब

1200
पहल
तहसील

संयोजक
नरेश

व्यवस्थापक

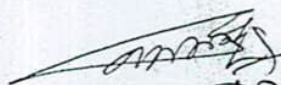
रचना शेखर

दिनांक :- 06/09/2022

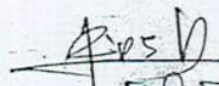
न्यायमालय प्रकरण क्र. 0020/अ-20 (3)/2021-22
आदेश दिनांक 05/08/2022 के परिणामन में ग्राम
गढावदिया तालाब परियोजना के तहत ग्राम गढावदिया
तहसील रावरी जिला वन विभाग की कुमी 12.770 हेक्टा
तालाब परियोजना की गई है। इस परियोजना में उपयोग
में आई कुमी के खज में ग्राम शेखर की शासकीय
कुमी क्षेत्र क्र. 858 एम्बरा 80.980 एम्बर जाईयन
को.को. पालवीर में से 12.770 हे. कुमी वन
विभाग की ओर से उपस्थित श्री नानुराज जी बगरा
वन परिसर सहायक आग्रा को आज दिनांक 06/09/2022
को मैले पर कलका प्रदान किया गया।

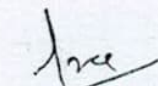
उपरोक्तनुसार कुमी को
कलका प्रदान किया।

उपरोक्तनुसार कुमी को
कलका प्रदान किया गया।


महेश आर्य

06.09.2022 उपर्युक्त


जुनिअर
विपरीत


1/13



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख

खसरा

प्रमाण एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11039874204

Annexure 04

ग्राम: ० सोसुर			पटवारी हत्का: सोसुर			तहसील: पिपलदा			जिला: रतलाम		वर्ष: 2022-2023
भूमि के पान की यूनिक आईडी	भूमि के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक / चरित्र संख्याक)	पू-खण्ड संख्याक (चरित्र संख्याक)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पू-राजस्व/पू-पाटक (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता का नाम तथा निवास का पता 2. सासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विज्ञान तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियाँ में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154156 3345	858/3 (S)		12.7700 हेक्टर रू.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0021/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 05/05/2022 के अनुसार भू-अपिलेख अद्यतित। श्रीमान तहसीलदार महो. के पत्र क्र 288/री 1/2016आ. दिनांक 15.1.16 अनुसार सर्वे न 858 में से रकबा 71.63 है. भूमि खरमोर अभ्यारण हेतु आरक्षित कि गई है खरमोर अभ्यारण हेतु आरक्षित कि गई है ।



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी
प्रारूप सार (नियम 8 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम,



CLR No. :11039874311

ग्राम: सेरपुर			पटवारी हत्का: सेरपुर			तहसील: रिपलौया			जिला: सतलम			वर्ष: 2022-2023		
खता क्रमांक	1. खतौदार (खतौदारी) का नाम उनके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खतो में हिस्सा	खतौदार (खतौदारी) का आईडी क्रमांक (सयूक्त खतो की दशा में प्रत्येक खतौदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इस्का/ इस्का संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. सैक्टर (इक्वेटेर/ कर्मीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	* मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	बालू वर्ष की मात्रा (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनाक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अग्रतन कुल मात्रा (रुपयों में)	पुरातन गई राशि जिसमें पुरातन के ब्याज शामिल हो (रुपयों में) 1. पुरातन गई राशि 2. पुरातन की विधि	देय राशि	अपि युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन सम्पूर्ण प्राण शासकीय संस्था			858/3 (S) 12.7700 हेक्टेयर	कृषि	0.00	कुल शे. 12.7700 हेक्टेयर	कुल भू-राजस्व	0.00			0.00		0.00	
			कुल शे. 12.7700 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00	पंचायत उपकर	0.00	0.00						
						शाला उपकर	0.00	0.00						
						वाणिज्य कर	0.00	0.00						
						प्रीमियम	0.00	0.00						
						शास्ति	0.00	0.00						
						योग	0.00	0.00						



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 11039874354

वर्ष: 2022-23

दिनांक : 30-09-2022 13:27:33



858/2

858/3
(S)

859/2/1

859/2/2

859/2/3

859/2/4

859/2/5

858/4

प्लॉक सं.:

ग्राम: शेरपुर

हल्का: शेरपुर

तहसील: पिपलोदा

जिला: रतलाम

सर्वेक्षण सं.: 858/3(S)

क्षेत्रफल: 12.7700 (हेक्ट.)

भू. रा. शा: 0

मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)

0 20 40 60 80 100 120 160m

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND
RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA
PRADESH 1

Date: 2022.09.30 13:35:11 IST

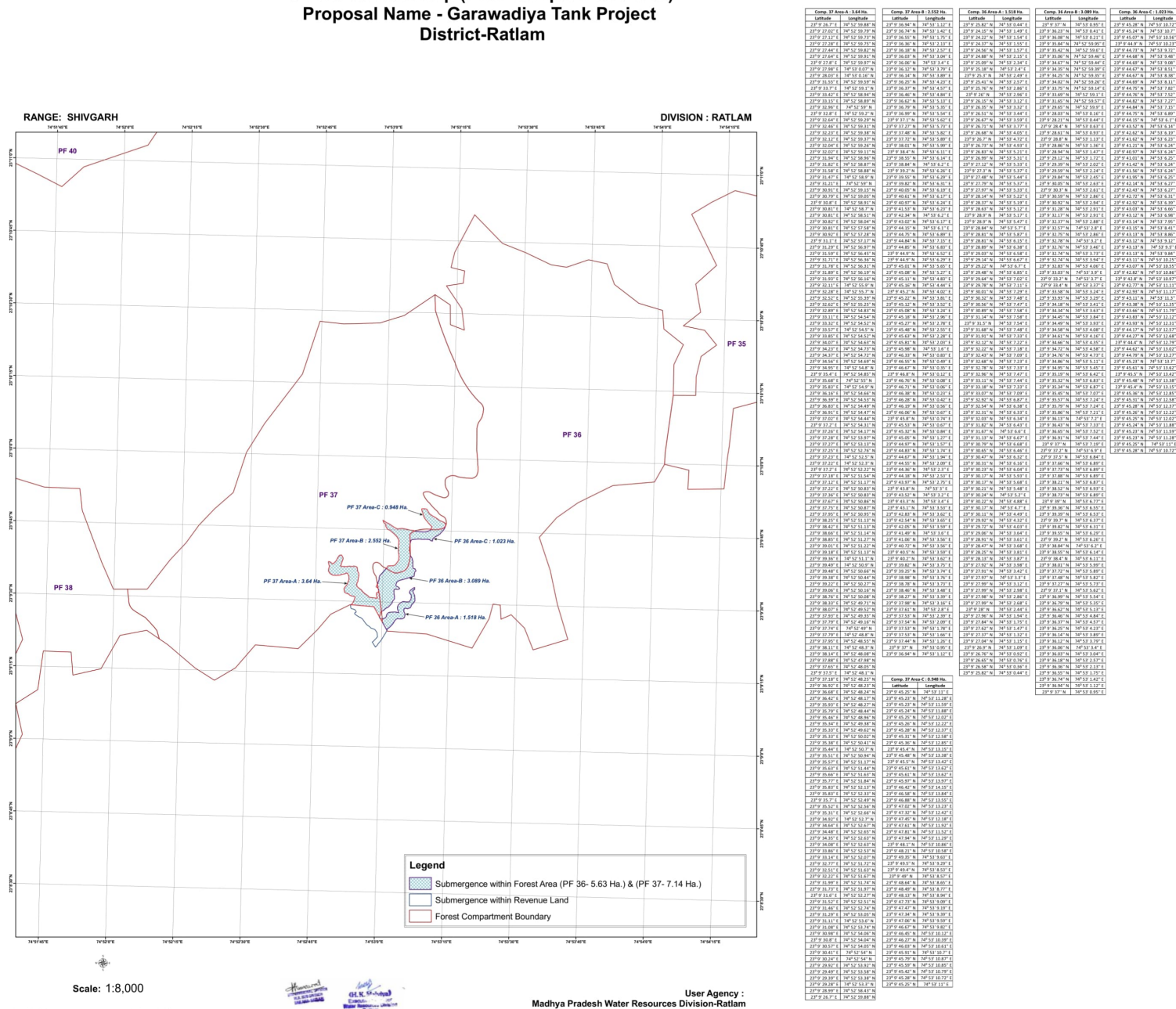
Reason: Digital Extract of Land Record - Map

Copy

CLR No. : 11039874354

(हस्ताक्षर)

Georeferenced Map (Area Compartment wise)
Proposal Name - Garawadiya Tank Project
District-Ratlam



कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि रक्बा 12.770 हेक्टर के सिद्धांतिक स्वीकृति आदेश की शर्त क्रमांक 04 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

(पी.के.स्वरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रतलाम म.प्र.

E-mail- eewrdrtm@rediffmail.com Phone No. 07412-267540

पत्र क्रमांक: 271 / व.ले.लि. / 2021

रतलाम, दिनांक: 27.01.2021

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल
सागौद रोड़ रतलाम (म.प्र.)

विषय:- जिला रतलाम के अन्तर्गत गढ़ावदिया तालाब निर्माण हेतु 12.770 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 1475 रतलाम दिनांक 04.05.2019

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भ में लेख है कि रतलाम जिले की गढ़ावदिया तालाब के निर्माण में अ: रही 12.770 हेक्टर वनभूमि की शेष राशि रुपये 84,43,840/- का ई-चालान तैयार कर ई-चेक्स क्रमांक 522230 दिनांक 22.01.2021 रुपये 84,43,840/- जमा की गई है । जमा राशि के चालान की प्रति संलग्न भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि गढ़ावदिया तालाब की (IInd Stage) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु आपके स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(एच.के.मालवीय)
कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम
रतलाम, दिनांक:-

पृष्ठां. क्रमांक: / व.ले.लि. / 2021

प्रतिलिपि

- 1- अपर प्रधान वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ ।

(एच.के.मालवीय)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग रतलाम

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2021

Agency Name.	Madhya Pradesh Water Resources Department
Application No.	5732637573
MoEF/SG File No.	6-MPC080/2018-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Madhya Pradesh Water Resources Division Raikam
Amount(In Rs)	8443840/-

Amount In Words: Eighty-Four Lakh Forty-Three Thousand Eight Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150765732637573 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2021

Agency Name.	Madhya Pradesh Water Resources Department
Application No.	5732637573
MoEF/SG File No.	6-MPC080/2018-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Madhya Pradesh Water Resources Division Raikam
Amount(In Rs)	8443840/-

Amount In Words: Eighty-Four Lakh Forty-Three Thousand Eight Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150765732637573 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in



Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Thu, 21 Jan 2021 13:13:53

To: eewrdtm@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

1. Proposal No. : FP/MP/IRRIG/32637/2018
2. Proposal Name : Garawadiya Tank Project
3. Category of the Proposal : Irrigation
4. Date of In-principle : 20/03/2018
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	Madhya Pradesh Water Resources Department
Mobile No.	:9926059609
Email ID	:eewrdtm@rediffmail.com
State	:Madhya Pradesh
District	:Rajam
Pincode	:457001

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation :Rs. 3442100/-
2. Additional Compensatory Afforestation :Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation :Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment :Rs. 0/-
5. Safety Zone :Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area :Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV) :Rs. 5001740/-
8. Other Charges :Rs.0/-
9. Other Charges1 :Rs.0/-
10. Other Charges2 :Rs.0/-
11. Other Charges3 :Rs.0/-

Total Amount :Rs. 8443840/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम शर्त क्रमांक 5(बी) के परिपालन में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू राशि को भविष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेषज्ञ कमेटी / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है तो अंतर की राशि जमा कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 09 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के शर्त क्रमांक 12 के परिपालन में आवेदक संस्था प्रस्तावित योजना निर्माण कार्य के समय वन क्षेत्र में श्रमिक केम्प स्थापित नहीं करेंगे। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 14 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 15 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 19 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 21 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वर्त)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: ewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 24 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.खरत)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

गढ़ावदिया सिंचाई तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के योजना के शर्त क्रमांक 25 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।



(पी.के.स्वर्त)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग रतलाम